न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 14/2025

1. राजेष पुत्र शीषपालसिंह जाति जाट निवासी 26 केएनडी बी तहः खाजूवाला

.....प्रार्थी

1. निषानसिंह पुत्र तोतासिंह जाति मजहबी निवासी 10 बी.डी. तहः खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– **दिनांक :– 17.02.26**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चक 5 केएलडी सीएडी मु0नं0 236/24 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 23 तादादी 3.7935 हैक्टर संयुक्त खाता में 1/3 खातेदारी दर्ज कागजात है जिसपर प्रार्थीगण लम्बे अरसे से लेकर आजतक काबिजे काष्त है। मौके पर डिग्गी बनाकर का काष्त कर रहे है तथा नरमा, ग्वार एवं हरे चारे की फसल काष्त कर रखी है। चक 5 केएलडी सीएडी मु0नं0 236/32 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में कटानषुदा पक्की डामर सड़क बनी हुई है तथा कटान रास्ता है जो चक 5 केएलडी से चक 3 केएलडी आबादी को जाता है। प्रार्थीगण मु0नं0 236/32 के किला नं0 1 के कटान रास्ता से अपने खेत के किला नं0 3 में प्रवेष करते है। उक्त रास्ता 20 वर्षो से चल रहा है और किला नं0 3 तक दो–दो फीट मिट्टी भर्ती कर रास्ता उंचा किया गया था इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। रास्ता की अत्यांतिक आवष्यकता है। फसल पकाव पर है और रास्ता का अभाव है। अपने खेत के किला नं0 में पक्की शाख से नक्का खाला है और अपने किला नं0 1 ता 3 से सींव पर कच्चा खाला से अप्रार्थी सं0 1 व अन्य काष्तकार निर्बाधरूप से पानी ले रहे है। नक्षा मौका व फोटो मौका संलग्न प्रार्थनापत्र है। अप्रार्थी सं0 1 की सहमति से रास्ता 20 वर्षो से चल रहा था तो उसी मुताबिक प्रार्थीगण ने किला नं0 3 में उतरी सींव पर कच्चा खाला के अलावा 17–18 फीट भूमि छोड़कर पक्की डिग्गी का निर्माण कर लिया जहा से ट्रेक्टर द्वारा पम्प लगाकर पानी खेत में दिया जा रहा है। लेकिन अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 11.08.22 की रात्रि को ट्रेक्टर से करावा चलाकर चलते रास्ता को समतल कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपने वाहन सहित खेत में कैद होकर रह गया तो एक प्रार्थनापत्र अप्रार्थी सं0 2 को दिनांक 12.08.22 को दिया की चालू रास्ता को खुलवाया जावे तथा सम्पर्क पोर्टल पर भी षिकायत दर्ज करवाई तो पटवारी हल्का ने रूबरूगवाहान मौका देखा और तहसीलदार खाजूवाला को रिपोर्ट कर दी और तहसीलदार खाजूवाला ने कहा सक्षम न्यायालय से रास्ता कटान करवावावें। चक 5 केएलडी सीएडी मु0नं0 236/32 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में कटानषुदा पक्की डामर सड़क रास्ता है लेकिन मु0नं0 236/24 के किला नं0 4, 5 में 02–02 बिस्वा अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण मु0नं0 236/32 के किला नं0 1 के कटान रास्ता से मु0नं0 236/24 के किला नं0 4, 5 से 02–02 बिस्वा उतरादी सींव पर रास्ता से अपने खेत के किला नं0 3 में प्रवेष करते है। उक्त रास्ता 20 वर्षो से चल रहा है जिसको अप्रार्थी सं0 1 ने जबरन बंद कर दिया है। धारा 251 ए के तहत वर्तमान डीएलसी दर से 02–02 बिस्वा भूमि की कीमत देने को तैयार है। चक 5 केएलडी मु0नं0 236/32 के किला नं0 1 के कटान रास्ता से मु0नं0 236/24 के किलानं0 5,4 में 02–02 बिस्वा यानी 0.02530–0.02530 हैक्टर कुल 0.05060 हैक्टर उतरादी सींव पर रास्ता पूर्व से पष्चिम स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता खेत राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 को पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया गया जिसपर अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल हाजिर आकर जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थीगण लम्बे समय से अपनी वादगत भूमि में प्रवेष करने के लिए अपनी चिपती भूमि मु0नं0 236/23 जो इनके स्वंय के नाम होने व सहकाष्तकार होने से

मु0नं0 236/23 के किला नं0 24, 25 से होकर अपने खेत में प्रवेष करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने यहां से पंचायती कर रास्ता मांगा परन्तु हमारे परिवार की भूमि होने से किला नं0 24, 25 में 02–02 बिस्वा रास्ता देने को तैयार है तथा उक्त भूमि के बदले में भूमि लेना चाहते है परन्तु प्रार्थीगण ने इसी जगह रास्ता लेने की जिद कर रखी है। मु0नं0 236/24 के किला नं0 4,5 में सिंचाई हेतु खाला बना हुआ है। जिससे अप्रार्थीया व सह काष्तकारों को सिंचाई सुविधा में परेषानी का सामना करना पड़ेगा तथा प्रार्थीगण ने भी आगे डिग्गी बना रखी है। उसमें से आगे जाने में परेषानी का सामना करना पड़ेगा। उक्त वादगत भूमि को रास्ता या तो मु0नं0 236/23 के किला नं0 24, 25 में दिया जावे या हमारी इसी मुरब्बा के किला नं0 24, 25 जो मेरे पोते, पोती, बहु के नाम है। उसमें भूमि के बदले भूमि देकर कटान करने का आदेष प्रदान करावें। अप्रार्थी सं0 3, ता 6 बंषीदेवी, अनिता, सुनिता, धर्मपाल ने जरिये अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल प्रार्थनापत्र आदेष 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया जो स्वीकार कर पत्रावली में पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी सं0 3 ता 6 की ओर से अधिवक्ता ने सहमति पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा 236/24 के किला नं0 4, 5 प्रत्येक में 02–02 बिस्वा रास्ता हेतु मांग की गई है। लेकिन हम मिकरान के उक्त किला नं0 4,5 की सींव पर सिंचाई खाला बना हुआ है तथा फसल काष्त की हुई है, जिसके कारण यहां रास्ता कटाने किये जाने से हम मिकरान को सिंचाई सुविधा करने में भारी परेषानी का सामना करना पड़ेगा व खड़ी फसल नष्ट हो जाएगी तथा किला नं0 03 में प्रार्थीगण द्वारा पक्की डिग्गी मय खाला का निर्माण किया हुआ है, इसलिए उक्त रास्ता आगे नहीं जा सकता है इसलिए हम मिकरान अपने रकबा के किला नं0 25, 24 प्रत्येक में 02–02 बिस्वा यानि 0.0253– 0.0253 हैक्टर भूमि के बदले भूमि लेकर रास्ता हेतु भूमि देने को तैयार है, जिसके लिए सहमति पत्र लिखकर दे रहे है।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/रीडर/22/791 दिनांक 02.12.22 द्वारा रास्ता प्रस्ताव/रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें मु0नं0 236/24 के किला नं0 4, 5 में रास्ता प्रस्तावित किया। अप्रार्थीगण ने तहसीलदार खाजूवाला से दुबारा रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया जिसपर पुनः रिपोर्ट तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/राजस्व/2025/1043 दिनांक 31.07.25 द्वारा प्रस्तुत हुई जिसके अनुसार चक 5 केएलडी मु0नं0 236/24 के किला नं0 4, 5 में कुछ समय पूर्व रास्ता आम सहमति से सुचारू रूप से चलता था परंतु वर्तमान में मौके पर बंद है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ओमप्रकाष द्वारा चाहा गया किलानं0 4, 5 में रास्ता प्रार्थी के मु0नं0 236/24 के किला नं0 03 में बनी डिग्गी के नजदीक लगता है। मौके पर वर्तमान में मु0नं0 236/24 के किला नं0 24, 25 वर्तमान में खाली पड़त है। किला नं0 25 में पूर्व में दाह–संस्कार किया हुआ है। पत्रावली पर सुना गया प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि किला नं0 4, 5 में रास्ता पूर्व में चलता था वहीं रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटान किया जावें एवं रास्ता भूमि के प्रतिफल में भूमि देने का प्रावधान धारा 251 ए आरटीएक्ट के प्रावधानों में नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावें। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि किला नं0 24, 25 में सहमति से रास्ता कटान करवाने के लिए तैयार है एवं रास्ता भूमि के बदले प्रतिफल स्वरूप भूमि दे दी जावे। किला नं0 04, 05 में रास्ता कटान करने से वाद विवाद और बढेगे। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। चूंकि चक 5 केएलडी मु0नं0 236/24 के किला नं0 04 ,05 में पूर्व में रास्ता चलायमान रहा है और चलायमान रास्ते को बंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। धारा 251 ए आरटीएक्ट के रास्ता कटान प्रावधान में रास्ता भूमि के प्रतिफल में भूमि देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थनापत्र/सहमति पत्र स्वीकार के काबिल नहीं है। अतः अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

जाता है तथा चक 5 केएलडी सीएडी मु0नं0 236/24 के किला नं0 04–05 में 02–02 बिस्वा उतरादी सींव पर पूर्व से पष्चिम रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त 2–2 बिस्वा कुल 04 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राषि प्रार्थी से नियमानुसार जमा करवाकर इस रास्ता के रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेष की पालना सुनिष्चित करें पत्रावली फैसलषुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)